[2021] 8 एस. सी. आर. 591

चंद्रा @चंदा @चंद्रराम और ए. एन. आर.

वी.

मुकेश कुमार यादव और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6152)

1 अक्टूबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: एस. 166 - घातक दुर्घटना-32 वर्षीय मृतक ट्रक ट्रेलर के चालक के रूप में कार्यरत था

वेतन प्रमाण पत्र, लेकिन साथ ही मृतक की आय निर्धारित करने के लिए एक पूर्ण प्रमाण नहीं हो सकता है-रिकॉर्ड पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, कुछ मात्रा में अनुमान लगाने की आवश्यकता है-लेकिन साथ ही, मृतक की आय का आकलन करने के लिए अनुमान को वास्तविकता से पूरी तरह से अलग नहीं किया जाना चाहिए-केवल क्योंकि दावेदार पीड़ित-मृतक की मासिक आय दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ थे, यह गणना करते समय न्यूनतम मजदूरी के न्यूनतम स्तर को अपनाने को उचित नहीं ठहराता है।

आय-मृतक की पत्नी के मौखिक साक्ष्य को त्यागने का कोई कारण नहीं है कि मृतक प्रति व्यक्ति लगभग Rs.15000/- कमा रहा था।

महीना-वाहनों की आबादी में भारी वृद्धि और अच्छे चालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए और मौखिक साक्ष्य पर विचार करना

अभिलेख, मृतक की आय Rs.8000/- प्रति माह पर ली गई

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्भरता खोने के उद्देश्य से-मृतक वृद्ध था

दुर्घटना की तारीख को लगभग 32 वर्ष और चूंकि वह निश्चित वेतन पर था, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि की जानी है-साथ ही, मृतक की आय से उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की जानी है-तदनुसार मृतक की आय Rs.7467/- प्रति माह की जा सकती है-'16' के गुणक को लागू करके, दावेदारों को कहा जाता है -

Rs.14,33,664/- के मुआवजे के लिए हकदार-Rs.10 की राशि के रूप में, 99,700/- पहले से ही निर्भरता के नुकसान के लिए भुगतान किया गया है, अपीलार्थी-माता-पिता के अंतर मुआवजे के लिए हकदार हैं

रु. 3,33,964/--अपीलार्थी प्रत्येक Rs.40,000/- के माता-पिता के संघ के लिए भी हकदार हैं।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1. केवल इसलिए कि दावेदार पीड़ित की मासिक आय दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ थे

आय की गणना करते समय न्यूनतम मजदूरी के न्यूनतम स्तर को अपनाना उचित नहीं है। मृतक की पत्नी के मौखिक साक्ष्य को त्यागने का कोई कारण नहीं है, जिसने बयान दिया है कि मृतक प्रति माह लगभग Rs.15000/- कमा रहा था। वाहनों की आबादी में भारी वृद्धि और अच्छे चालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए और मौखिक साक्ष्य पर विचार करके

आश्रितता के नुकसान के उद्देश्य से मृतक की आय Rs.8000/- प्रति माह ली जा सकती है। दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु लगभग 32 वर्ष थी और चूंकि वह निश्चित वेतन पर था, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत वृद्धि की जानी है। साथ ही मृतक की आय से उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की जानी है। तदनुसार मृतक की आय Rs.7467/- प्रति माह पर प्राप्त की जा सकती है। '16' के गुणक को लागू करके, दावेदार Rs.14,33,664/- के मुआवजे के हकदार हैं। Rs.10 की राशि के रूप में, 99,700/- पहले से ही निर्भरता के नुकसान के लिए भुगतान किया गया है, अपीलार्थी-माता-पिता रुपये के अंतर मुआवजे के हकदार हैं। अपीलार्थी प्रत्येक Rs.40,000/- के माता-पिता के संघ के लिए भी हकदार हैं। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि माता-पिता को आश्रित नहीं माना जा सकता है, इसके विपरीत है -

सरला वर्मा के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। [पैरा 10] [595-जी-एच; 596-ए-ई] चंद्र @चंदा @चंद्रम बनाम।

मुकेश कुमार यादव

मीनू रूट और अन्न। वी. सत्य प्रद्युम्न महापात्रा और

ओआरएस। (2013) 10 एससीसी 695: [2013] 10 एससीआर 847; मैग्मा

सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड v. नानू

राम @चुहरू राम और अन्य। 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1546 (2018) 18 एस. सी. सी. 130; सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य। वी. दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर। (2009) 6 एससीसी

121 : [2009] 5 एस. सी. आर. 1098 पर भरोसा किया।

कीर्ति और अन्न। वी. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(2021) 2 एससीसी 166-प्रतिष्ठित।

मामला कानून संदर्भ

(2021) 2 एससीसी 166

पै

रा 8

प्रतिष्ठित

[2013] 10 एससीआर 847

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

(2018) 18 एससीसी 130

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[2009] 5 एससीआर 1098

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6152

2021

उच्च न्यायालय के 06.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की एस. बी. सिविल विविध अपील सं. 1242 में जयपुर में राजस्थान पीठ की।

आदित्य सिंह, अनुभव सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

मनीष कुमार, साहिल रवीन, गोपाल सिंह, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता जिन्होंने लगभग 32 वर्ष की आयु में अपने बेटे को खो दिया

27.02.2016 पर मोटर वाहन सड़क दुर्घटना, इस न्यायालय के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर एक आवेदन से उत्पन्न मुआवजे में वृद्धि का दावा कर रही है।

3. अपीलार्थी माता-पिता हैं; चौथा प्रतिवादी पत्नी है; पाँचवाँ

प्रतिवादी नाबालिग बेटा है; छठा प्रतिवादी भाई है; और सातवां प्रतिवादी मृतक शिवपाल की बहन है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं। 4 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मोटर वाहन [2021] 8 एस. सी. आर. के समक्ष दायर आवेदन में 7 आवेदक थे।

6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 99,700/- का मुआवजा। अकेले अपीलार्थी माता-पिता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.07.2018 के विवादित निर्णय द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष हैं।

4. मृतक शिवपाल वाहन पर चालक के रूप में कार्यरत था, यानी No.RJ-06-GA-6576 वाला ट्रक ट्रेलर। जब वह आदर्श नगर पुलिस स्टेशन, अजमेर की सीमा के भीतर 27.02.2016 पर वाहन चला रहा था, तो वाहन-ट्रक ट्रेलर-जिस पर नंबर था। आर. जे.-14-जी. डी.-1156, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा संचालित; दूसरे प्रत्यर्थी से संबंधित; और तीसरे प्रत्यर्थी के साथ बीमित, गलत तरफ आया और उसके वाहन से टकरा गया।

पारंपरिक सिर। न्यायाधिकरण ने माना है कि दुर्घटना पहले प्रतिवादी द्वारा चलाए गए वाहन के उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने मृतक की आय Rs.5746/- प्रति माह को ध्यान में रखते हुए पत्नी और नाबालिग बच्चे को Rs.40000/- के संघ सहित कुल 99,700/- का मुआवजा दिया है। न्यायाधिकरण ने केवल मृतक के माता-पिता-प्रत्येक अपीलार्थी को Rs.10000/- की राशि प्रदान की थी। 6. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री आदित्य सिंह और प्रतिवादी नं. 3 .

7. मुख्य रूप से अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि मृतक एक भारी वाहन चालक होने के नाते प्रति माह Rs.15,000/- कमा रहा था, लेकिन न्यायाधिकरण ने प्रति माह Rs.5746/- पर मृतक की आय लेकर निर्भरता के नुकसान के कारण मुआवजा दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की पत्नी, अर्थात प्रतिवादी नं। 4 उसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक प्रति माह Rs.15000/- कमा रही थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य के बावजूद न्यायाधिकरण ने कुशल श्रमिकों को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मृतक की आय को Rs.5746/- पर लेने में त्रुटि की है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में त्रुटि की है कि अपीलार्थी आश्रित नहीं हैं क्योंकि वे चंद्र @चंदा @चंद्रम बनाम थे।

अलग-अलग रहते हैं। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी भी इसके हकदार हैं - 'संघ के नुकसान' के शीर्ष के तहत मुआवजा।

8. तीसरे प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने

प्रस्तुत किया कि मृतक का वेतन Rs.15,000/- प्रति माह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक कमाई Rs.5746/- को सही ढंग से ध्यान में रखा है। कीर्ति और अन्न के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करके। वी. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ', विद्वान परामर्शदाता

उसने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

10. दावेदारों का यह विशिष्ट मामला है कि मृतक के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस था और वह Rs.15000/कमा रहा था। प्रति माह। दुर्घटना की तारीख को इस तरह का लाइसेंस होना और भारी वाहन चलाना रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से साबित होता है। यद्यपि मृतक की पत्नी ने ए. डब्ल्यू.-1 के रूप में स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि उसका पति शिवपाल प्रति माह Rs.15000/- कमा रहा था, लेकिन इसे केवल इस आधार पर नहीं माना गया कि वेतन प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था। न्यायाधिकरण ने

वर्ष 2016 में कुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी को अपनाकर मृतक की मासिक आय निर्धारित की गई। वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना एक पैमाना हो सकता है लेकिन साथ ही मृतक की आय तय करने के लिए एक पूर्ण मानदंड नहीं हो सकता है। अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में कुछ मात्रा में अनुमान लगाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही मृतक की आय का आकलन करने के लिए अनुमान को वास्तविकता से पूरी तरह से अलग नहीं किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि दावेदार पेश करने में असमर्थ थे

शिवपाल की मासिक आय को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य, आय की गणना करते समय न्यूनतम मजदूरी के न्यूनतम स्तर को अपनाने को उचित नहीं ठहराते हैं। मृतक की पत्नी के मौखिक साक्ष्य को खारिज करने का कोई कारण नहीं है, जिसने यह बयान दिया है कि दिवंगत शिवपाल प्रति माह लगभग Rs.15000/- कमा रहे थे। मीनू रूट और अन्न के मामले में। वी. सत्य प्रद्युम्न महापात्रा और Ors.2 यह न्यायालय दावे पर विचार करते हुए

1 1 (2021) 2 एससीसी 166

2 (2013) 10 एससीसी 695 [2021] 8 एस. सी. आर.

08.11.2004 पर हुई दुर्घटना के संबंध में हल्के मोटर वाहन के चालक का वेतन Rs.6000/- प्रति माह लिया गया है। इस मामले में दुर्घटना 27.02.2016 पर हुई थी और यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मृतक के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस था और दुर्घटना के दिन वह ऐसा वाहन चला रहा था। वाहनों की आबादी में भारी वृद्धि और अच्छे चालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर मौखिक साक्ष्य पर विचार करके हम निर्भरता के नुकसान के उद्देश्य से मृतक की आय Rs.8000/- प्रति माह ले सकते हैं। दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु लगभग 32 वर्ष थी और चूंकि वह निश्चित वेतन पर था, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत वृद्धि की जानी है। साथ ही मृतक की आय से उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की जानी है। तदनुसार मृतक की आय Rs.7467/- प्रति माह पर प्राप्त की जा सकती है। '16' के गुणक को लागू करके दावेदार रुपये के मुआवजे के हकदार हैं। 14,33,664 / - . Rs.10 की राशि के रूप में, 99,700/- का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

अपीलार्थी की निर्भरता-माता-पिता अंतर के हकदार हैं

वी. नानू राम @चुहरू राम और Ors.³ अपीलार्थी प्रत्येक Rs.40,000/- के माता-पिता के संघ के भी हकदार हैं। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि माता-पिता को आश्रित नहीं माना जा सकता है, सरला वर्मा (श्रीमती) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है। & ओआरएस। वी. दिल्ली परिवहन निगम & Anr.4। कीर्ति और के मामले में निर्णय

एन. आर. वी. प्रतिवादी के वकील द्वारा भरोसा की गई ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1 मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने मामले के समर्थन में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी।

11. उपरोक्त कारणों से इस अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलार्थी रुपये की अतिरिक्त मुआवजे की राशि के हकदार हैं। निर्भरता की हानि और संघ की राशि Rs.40,000/- प्रत्येक। इस प्रकार अपीलार्थियों को देय कुल मुआवजा दावा याचिका दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. <आई. डी. 1/निर्धारित किया गया है।

12. उपरोक्त कारणों से अपील की आंशिक रूप से अनुमति है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

देविका गुजराल

आंशिक

रूप से अनुमत अपील।

3 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1546 = (2018) 18 एस. सी. सी. 130 4 (2009) 6 एस. सी. सी. 121